न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :– करतार सिंह पूनीयॉ आर.ए.एस

अपील सं0 133/2022
आरसीएमएस नं. 2022/00133

शारदा उर्फ लाली पुत्री चेतराम उर्फ चतनराम धर्मपत्नी महावीर प्रसाद उम्र 54 वर्ष निवासी बिरकाली तहसील नोहर जिला हनुमानगढ राजस्थान मो. नं. 9928893945

–रेस्पोडेण्ट/प्रतिवादी सं0 3

बनाम

1. रामजीलाल पुत्र
2. नोपाराम पुत्र
3. रामेश्वरलाल पुत्र

} चेतराम निवासी कानसर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ

4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर

–असल प्रत्यर्थीगण/वादीगण

5. धनी पत्नी चेतराम उर्फ चेतनराम जाति जाट निवासी कानसर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
6. विद्या देवी पुत्री चेतराम उर्फ चेतनराम जाति जाट निवासी कानसर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
7. ललिता उर्फ पाना पुत्री चेतराम उर्फ चेतनराम पत्नी सुलतान उम्र 59 वर्ष निवासी बिरकाली तहसील नोहर जिला हनुमागनढ।

– रेस्पोडैन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 223 आरटीएक्ट
विरूद्व निर्णय एवं डिक्री दिनांक 06.02.2022
द्वारा सहायक कलक्टर एवं उपखंड अधिकारी नोहर
प्रकरण संख्या 67/2022 बअनवान रामजीलाल आदि बनाम धनी आदि

श्री बलदेव पूनिया अधिवक्ता अपीलाण्ट
श्री रविन्द्र गोदारा अधिवक्ता रेस्पो0 सं0 1, 2, 3
श्री राजेश कौशिक राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 सं0 4

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

श्री भरतसिंह बेनीवाल अधिवक्ता रेस्पो0 सं0 5, 6

निर्णय

दिनांक – 22.09.2022

1. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि रेस्पोडेण्ट संख्या 1 ता 3/वादीगण ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 एवं 89 के तहत एक वाद पेश किया। वाद पत्र में कथन कियाकि रोही मौजा कानसर के खाता संख्या 268/259 की कुल 18.1600 है0 प्रतिवादीया संख्या 1 ता 4 प्रत्येक 1/9 हिस्सा व रोही मौजा दलपतपुरा के खाता खाता सं0 94/94 की कुल 8.9160 है0 में से प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 प्रत्येक 8917/401220 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। उक्त भूमि विरास्तन से वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के नाम से दर्ज हुई है। प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादीगण के पक्ष में किया जा चुका हैं। इसलिए वाद भूमि वादीगण का बराबर का हक हिस्सा है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादीगण ने वाद पत्र में यह अनुतोष मांगा कि वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे कि प्रतिवादी सं0 1 ता 4 के नाम से दर्ज भूमि को वादीगण ब.हि.ब. के खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने के अधिकारी हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रतिवादीगण द्वारा वाद स्वीकार करने के आधार वादीया का वाद स्वीकार किया जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील पेश की है।

2. उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया अपीलाण्ट को अधीनस्थ न्यायालय से दावा का कभी भी कोई समन प्राप्त नहीं हुआ और ना ही इस दावा की तामील अपीलाण्ट पर हुई है। पत्रावली पर स्वयं अथवा अपने वकील के जरिये कभी कोई उपस्थिति दर्ज नहीं करवाई गई। प्रत्यर्थी सं0 1 ता 3 ने अपीलार्थीया के हक व हिस्से की कृषि भूमि को हड़पने के लिए अपीलार्थीया के फर्जी हस्ताक्षर व अंगुठे लगाकर कूटरचित वकालतनामा व इकबालदावा पेश कर दावा को कपटपूर्वक डिक्री करवाया है। अपीलाण्ट ने अपने हक व हिस्से में त्याग नहीं किया है और ना ही इकबाल दावा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर पेश किया है। अधीनस्थ न्यायालय की फर्द अहकाम पर इकबाल पेश करने बाबत कोई भी उपस्थिति दर्ज नहीं हुई है। अपीलार्थीया की इकबालदावा की पहचान भी वादीगण के वकील द्वारा की हुई है जिससे स्पष्ट है कि प्रत्यर्थीगण ने साजिशाना तौर पर अपीलार्थीया के विरूद्ध दावा फर्जी कागजात तैयार करके डिक्री करवाया है। अपीलार्थीया कागजी कार्यवाही पर हमेशा अपने हस्ताक्षर करती है कभी भी अंगूठा नहीं लगाती है। प्रथ्यर्थीगण ने अपीलाण्ट के फर्जी एवं कूटरचित अंगूठे लगाये हैं। प्रत्यर्थी सं0 1 से 3 का कृत्य

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

भारतीय दण्ड संहिता की धारा 120 बी, 420, 467, 468, 471, 209 भारतीय दण्ड संहिता 1860 के तहत दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आता हैजिसके लिए अपीलाट ने माननीय न्यायालय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजि0 नोहर के समक्ष परिवार पत्र किया है। अपीलाण्ट को निर्णय व डिक्री की जानकारी सर्वप्रथम प्रमाणित प्रति दिनांक 23.03.2022 को प्राप्त करने पर हुआ इसके बाद अस्वस्थ हो गई एवं स्थगन होकर अपील प्रस्तु करने के लिए वकील की फीस व अपील का खर्चा की व्यवस्था कर बिना किसी देरी के अपील पेश कर दी है। अतः देरी क्षमा की जावे एवं अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री निरस्त किये जावें।

4. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलाण्ट के इकबालदावे के आधार पर पारित किया गया है। अपीलाण्ट ने मियाद बाहर अपील पेश की है। अपील विलम्ब से प्रस्तुत करने का कोई कारण नहीं बताया है। अपीलाण्ट ने मिथ्या तथ्यों के आधार पर यह अपील पेश की है जो खारिज की जावे।

5. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

6. अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र सशपथ होने एवं अपील का निस्तारण गुणावगुण पर श्रेयस्कर होने के कारण प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है। अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है।

जहां तक गुणावगुण का प्रश्न है विचारण न्यायालय में रेस्पोडेण्ट संख्या 1 ता 3 ने वाद पेश किया था जो विचारण न्यायालय ने इकबालदावा के आधार पर डिक्री किया है। अपीलाण्ट का कथन है कि अपीलाण्ट को अधीनस्थ न्यायालय से दावा का कभी भी कोई समन प्राप्त नहीं हुआ और ना ही इस दावा की तामील अपीलाण्ट पर हुई है। पत्रावली पर स्वयं अथवा अपने वकील के जरिये कभी कोई उपस्थिति दर्ज नहीं करवाई गई। प्रत्यर्थी सं0 1 ता 3 ने अपीलार्थीया के हक व हिस्से की कृषि भूमि को हड़पने के लिए अपीलार्थीया के फर्जी हस्ताक्षर व अंगुठे लगाकर कूटरचित वकालतनामा व इकबालदावा पेश कर दावा को कपटपूर्वक डिक्री करवाया है। अपीलार्थीया कागजी कार्यवाही पर हमेशा अपने हस्ताक्षर करती है कभी भी अंगूठा नहीं लगाती है। प्रथ्यर्थीगण ने अपीलाण्ट के फर्जी एवं कूटरचित अंगूठे लगाये हैं। अपीलाण्ट के उक्त तथ्यों की पुष्टि अपील में प्रस्तुत भारतीय दण्ड संहिता की धारा 120 बी, 420, 467, 468, 471, 209 भारतीय दण्ड संहिता 1860 के माननीय न्यायालय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजि0 नोहर के समक्ष परिवाद पत्र की प्रमाणित प्रति से होती है। जिससे स्पष्ट है कि अपीलाण्ट द्वारा स्वयं अधीनस्थ न्यायालय में कोई इकबालदावा पेश नहीं किया गया है और अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्र इकबालदावा के आधार पर पारित किये

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

गये हैं जो यथावत रखे जाने योग्य नहीं है। अतः अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार किये जाने योग्य है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य है कि उभयपक्ष को सुनकर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करे।

8. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेष्ण के आधार पर अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार की जाती है एवं सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर का अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 16.02.2022 निरस्त किये जाते हैं एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इस निर्देशके साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि उभयपक्ष को सुनकर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करे। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित भिजवाया जावे। पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

9. निर्णय आज दिनांक 22.9.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

22/9/22

(करतारसिंह पूनीयाँ)
आर.ए.एस
राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ़

राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ़